

पत्रांक 15/ए 3-82/2022

बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अजीत कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

पटना, दिनांक— 2026

विषय:— रामरति सुन्दर शीला कॉलेज, दाउदनगर, औरंगाबाद का संबंधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विश्वविद्यालय के पत्रांक—447/GIIB/25 दिनांक 12.09.2025 द्वारा रामरति सुन्दर शीला कॉलेज, दाउदनगर, औरंगाबाद के स्नातक कला एवं विज्ञान संकाय के प्रतिष्ठा स्तर के विषयों में सत्र 2025-29 एवं 2026-30 के लिए संबंधन दीर्घीकरण हेतु अनुशंसा प्राप्त हुआ है। संबंधन से संबंधित राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक-1098 दिनांक 19.04.1986 यथा संशोधित पत्रांक-3196 दिनांक 14.12.2017 एवं पत्रांक-3074 दिनांक 25.10.2019 में निहित प्रावधानों के आलोक में प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा की गयी।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक-4748 दिनांक 22.12.2023 द्वारा सत्र 2023-26 से दो सत्रों के लिए परिनियमानुसार महाविद्यालय के निबंधित लीज भूमि को One Time Renewal Clause के साथ संशोधित करा लिये जाने के शर्त के पर प्रश्नगत महाविद्यालय को सशर्त संबंधन दी गयी थी। प्राप्त प्रस्ताव में उक्त शर्त को पूरा करने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी है।

अतः भूमि के मापदण्ड को पूर्ण नहीं करने के कारण बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21(2)(d) में अंकित प्रावधान के आलोक में रामरति सुन्दर शीला कॉलेज, दाउदनगर, औरंगाबाद के संबंधन दीर्घीकरण के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की अस्वीकृति संसूचित की जाती है।

प्रस्ताव पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/—

(अजीत कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव

पटना, दिनांक 02.03.2026

ज्ञापांक-15/ए 3-82/2022-413.

प्रतिलिपि:—निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य, रामरति सुन्दर शीला कॉलेज, दाउदनगर, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अजित
2/3/26
सरकार के उप सचिव